न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सुपौल
पिपरा थाना काण्ड संख्या– 94 / 2026

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 715 / 2026

1. नजीरा खातुन,
2. मो0 इसाक.....आवेदकगण

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 866 / 2026

मो0 इस्लाम खलीफा..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

09/07/26

प्रार्थी अभियुक्तगण नजीरा खातुन, मो0 इसाक एवं मो0 इस्लाम खलीफा की ओर से पिपरा थाना काण्ड सं0 94 / 2026 में अपनी–अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत 715 / 26 एवं 866 / 26 को आज प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्तागण श्री विनोदकांत झा एवं श्री निरंजन कुमार के द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नही किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण नजीरा खातुन, मो0 इसाक का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रार्थी अभियुक्त मो0 इस्लाम खलीफा के विरूद्ध तीन अन्य आपराधिक इतिहास है जिसमें जमानत पर है। प्रार्थी अभियुक्तगण को गांव की गंदी राजनीति व दुश्मनी के कारण षड़यंत्र के तहत झूठा फंसाया गया है तथा लगाया गया आरोप बनावटी व मनगढत है। सूचिका के द्वारा लगाये गये आरोप के अधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 367, 372, 373, 295(ए) भा0दं0वि0 एवं एस0सी0 / एस0टी0 का आरोप नहीं बनता है। प्राथमिकी में जिस तरह के घटना का वर्णन किया गया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। प्राथमिकी के अनुसार प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों को मानने को तैयार है। प्रार्थी अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण मेहता एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण मेहता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सूचिका सुनवाई के क्रम में अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है।

प्रस्तुत वाद सूचिका रिंकु कुमारी के आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 342, 323, 367, 372, 373, 295(A), 34 IPC & 5 Immoral Trafficking Prevention Act & 3(1)(r)(s) SC/ST Act के अंतर्गत पिपरा थाना काण्ड सं0 94 / 26 दिनांक 17 / 03 / 26 को दर्ज किया गया हैं। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि आज से करीब 17 वर्ष पूर्व वह अपने घर से नाना के घर जा रही थी, उस समय उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। उसी दौरान सूचिका के घर से लगभग आधा कि0मी0 दक्षिण सुनसान स्थान में अभियुक्त नजीरा खातुन पहले से वहां खड़ी थी, जैसे ही सूचिका उक्त स्थान पर पहुंची तो अभियुक्त नजीरा खातुन ने उसे बातों में उलझा कर रखी और तुरंत पीछे से एक चार चक्का गाड़ी वहां पहुंची और चार चक्का गाड़ी का दरवाजा खोलकर नजीरा खातुन के सहयोग से अभियुक्त मो0 इसाक एवं उसके जीजा, नाम नामालुम जो नजीरा खातुन के पति है तथा एक अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी से उतर कर सूचिका को जबर्दस्ती चार चक्का गाड़ी में बैठाने का प्रयास करने लगा, तो सूचिका ने बैठने से इंकार करते हुए हल्ला करने का प्रयास की तो उक्त सभी अभियुक्तगण एक स्वर में जाति सूचक गाली देते हुए बोले कि जैसा कहते हैं वैसा करो। उसी दौरान मो0 इसाक ने अपने हाथ में लिए रूमाल सूचिका के नाक, मुंह पर रखते हुए उसके जीजा एवं एक अज्ञात व्यक्ति के साथ साथ नजीरा खातुन ने जबर्दस्ती धकेल कर गाड़ी में बैठा लिया, कुछ समय बाद सूचिका बेहोश हो गई। लगभग चार पांच दिनों के बाद जब उसे होश आया तो वह अपने आप को इस्लामपुर सिलीगुड़ी, बंगाल में लगभग 25–30 लड़कियों के बीच में पायी। इस्लमापुर के घर मालिक सूचिका को अपने घर के नौकरानी के तहत सारा काम लगभग दो वर्षों तक कराया उस समय सूचिका की उम्र लगभग 12–14 वर्ष थी। सूचिका द्वारा इस्लामपुर घर मालिक से पुछने पर स्पष्ट शब्दों में बताया कि मो0 इसाक, उसके जीजा एवं नजीरा खातुन के साथ साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने तुम्हें एक लाख रूपये में मेरे हाथ बेच दिया है, अब मेरे मुताबिक तुम्हें सारा कार्य करना पड़ेगा। इस्लामपुर के घर मालिक द्वारा यह भी बताया गया कि मो0 इसाक अपने उक्त सहयोगियों के

लगातार

09/07/26 **लगातार**	साथ लड़की का ही मेरे हाथ बिक्री का काम करता है, तुमसे पूर्व भी कई लडकियों को मेरे हाथ बिक्री किया है। लगभग आज से 15 वर्ष पूर्व इस्लामपुर घर मालिक के द्वारा किशनगंज के किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ शादी का बहाना बनाकर बिक्री कर दिया, उसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने सूचिका को अपने घर किशनगंज लाया जहां सूचिका के साथ दिगर–दिगर व्यक्तियों से जबरदस्ती देह व्यापार करवाया जाता था। सूचिका द्वारा विरोध करने पर जाति सूचक गाली दते हुए मारपीट किया जाता था। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व उक्त अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फारबिसगंज मो0 इस्लाम खलीफा के हाथ देह व्यपार करने हेतु ब्रिक्री कर दिया। जिन्होंने अपने घर फारबिसंगज लाकर हिन्दु धर्म परिवर्तन कराते हुए मुस्लिम धर्म अपनाने हेतु सूचिका रिंकु कुमारी का नाम बदलकर हीना खातुन ओर हीना खातुन के नाम से आंधार कार्ड बनवा लिया तथा दिगर–दिगर व्यक्तिों से देह व्यवपार करवाने लगें। सूचिका देह व्यपार करने से जैसे ही आनाकानी करती थी तो उसे एक जंतर पहना दिया जाता था जिससे वह दुनिया की सुझ बुझ भूल जाती थी और उस दौरान सूचिका से अनेकों व्यक्तियों के साथ देह व्यपार करवाया जाता था। देह व्यपार के दौरान ही उसे तीन बच्चा भी हो गया। जिसमें से दो बच्चा उक्त व्यक्तियों द्वारा मार व मरवा दिया गया तथा अंतिम बच्चा बादल कुमार उम्र करीब 10 वर्ष का बच्चा उसके साथ है। उक्त बच्चा का नाम बदलकर उक्त व्यक्तियों द्वारा मो0 फरहान रखा गया। आज से करीब एक माह पूर्व सूचिका बिल्कुल अस्वस्थ हो गयी थी। जिस दौरान ईलाज कराने हेतु उसे उक्त व्यक्तियों के द्वारा सरकारी अस्पताल फारबिंसगंज लाया गया। ईलाज के दौरान सूचिका को एम्बुलेंस चालक अखिलेश कुमार यादव से मुलाकात हुई जिससे सूचिका ने उपरोक्त सारी बातों की जानकारी दी, जिन्होंने उसे भरोसा दिलाते हुए सूचिका के कहने पर उसके बहन–भाई को खबर किये। खबर पाते ही उसकी बहन तथा जीजा जी उसे उक्त स्थान पर से उक्त व्यक्तियों से आरजू विनती करते हुए किसी तरह उक्त व्यक्ति के चंगुल से छुड़ाकर अपना घर लाया। सूचिका अपने बच्चे को लेकर अपने बहन–बहनोई के साथ घर आई। तत्पश्चात् उपरोक्त सारी बातों की जानकारी अपने भाई तथा गावॅ समाज के लोगों को दिया। सूचिका को आने के पश्चात् उक्त व्यक्तियों के द्वारा तीन मोबाईल नं. क्रमशः 9661996840, 7488663674 एवं 6200212316 से सूचिका के जीजा के मोबाईल पर धमकी भरे शब्दों में कॉल किया जाता है कि यदि दो दिन के अंदर तुम उक्त स्थान पर हीना खातुन (रिंकु कुमारी) को नहीं पहुंचाया तो झूठा, चोरी का आरोप लगाते हुए केश कर वो करवाकर सपरिवार को जेल में सड़वा दूंगा। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर सूचिका का धर्म परिवर्तन कराते हुए मोटी रकम लेकर देह व्यपार कराने हेतु दूसरे के हाथ बिक्री कराते हुए जबर्दस्ती बलात्कार कराने एवं जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करने का आरोप है। सूचिका ने अपने पुनः बयान (पैरा– 3) तथा अन्य साक्षियों ने अपने–अपने बयानों (पैरा– 4, 5) में घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी में प्रार्थी अभियुक्तगण सहित अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध काण्ड को सत्य पाया गया है। अबतक के प्राप्त काण्ड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु जमानत आवेदन कंडिका 03 के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त मो0 इसाक और नजीरा खातुन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रार्थी अभियुक्त मो0 इस्लाम खलीफा के विरूद्ध तीन अन्य आपराधिक मामले दर्ज है। अभिलेख एवं कांड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है एवं लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा वाद अभी अनुसंधानाधीन है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्तगण मो0 इसाक एवं नजीरा खातुन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 715/26 एवं प्रार्थी अभियुक्त मो0 इस्लाम खलीफा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 866/26 **अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	